अनुदान संख्या 67 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	15329,65,00	15329,71,00	14967,90,42	-361,80,58
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				276,76,42
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		370,00,00	192,56,19	-177,43,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				177,43,36

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	145746.00	54.98	..	-54.98
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-145694.02			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम और लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	1384806.00	1502910.65	1494504.79	-8405.86
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	118101.65			

(I) ₹146457.05 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022, में प्राप्त किए गए ₹3.05 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹145481.75 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए–

(का) "ग्रामीण और लघु उद्योग –खादी और ग्रामीण उद्योग –खादी, ग्रामीण और नारियल जूट उद्योग का विकास"– ₹3527.46 लाख (₹0.46 लाख के संकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(खा) "ग्रामीण और लघु उद्योग –नारियल जूट उद्योग – खादी, ग्रामीण और नारियल जूट उद्योग का विकास" – ₹1850.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(गा) "ग्रामीण और लघु उद्योग –अन्य ग्रामीण उद्योग – प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य उधार सहायता स्कीमें"–₹23579.04 लाख (₹2.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(घा) "ग्रामीण और लघु उद्योग –लघु उद्योग"–

(क) "तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन"– ₹527.00 लाख;

(ख) प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य उधार सहायता स्कीमें" – ₹110561.00 लाख;

(ग) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹4022.00 लाख;

(घ) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन"– ₹502.00 लाख; और

(ड.) "ग्रामीण और लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमशीलता और कौशल विकास" – ₹913.00 लाख।

(I) Provision of ₹146457.05 lakhs (including token supplementary grants of ₹3.05 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilised under twenty heads; of these ₹145481.75 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹3527.46 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.46 lakh);

(B) "Village and Small Industries – Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" – ₹1850.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);

(C) "Village and Small Industries- Other Village Industries – Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes"- ₹23579.04 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.04 lakhs);

(D) "Village and Small Industries – Small Scale Industries" -

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" – ₹527.00 lakhs;

(b) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹110561.00 lakhs;

(c) "Infrastructure Development Programme" – ₹4022.00 lakhs;

(d) "Research and Evaluation Studies" - ₹502.00 lakhs; and

(E) "Village and Small Industries – Other Expenditure – Entrepreneurship and Skill Development" - ₹913.00 lakhs.

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यशील शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2851" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :

(का) निदेशन और प्रशासन" सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास आयुक्त" – ₹1583.76 लाख की बचत (₹4630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे करने, स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "लघु उद्योग"–

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन"– ₹2334.19 लाख की बचत (₹2358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फील्ड कार्यालयों से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने, स्कीम मांग अनुसार संचालित होने के कारण हुई।

(ख) "तकनीक उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन"– ₹19044.20 लाख की बचत (₹30297.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के दिशा निर्देशों का अनुमोदन होने में देरी और बैंकों और नोडीय अभिकरणों से कम राजसहायता दावे मिलने के कारण हुई।

(ग) "विपणन संवर्धन योजना"–₹1854.71 लाख की बचत (₹2372.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "उद्यमिता और कौशल विकास"– ₹4158.70 लाख की बचत (₹17519.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

Provisions under the above eight heads remained wholly unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration – Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises" – saving of ₹1583.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4630.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(B) "Small Scale Industries" –

(a) "Research and Evaluation Studies" – saving of ₹2334.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2358.00 lakhs) was due to non- receipt of viable proposals from field offices, scheme being demand driven.

(b) "Technology Upgradation and Quality Certification" – saving of ₹19044.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30297.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme guidelines and receipt of less subsidy claims from banks and nodal agencies.

(c) "Marketing Promotion Scheme" – saving of ₹1854.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2372.00 lakhs); and

(d) "Entrepreneurship and Skill Development" – saving of ₹4158.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17519.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उक्त योजनायें मांग संचालित होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने से हुई ।

(ङ) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम"–₹58002.16 लाख की बचत (जुलाई 2021 और दिसंबर, 2021 में प्राप्त ₹0.55 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹96816.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अंतर्गत सतत परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता और भूमि खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और राज्य सरकारों द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण अन्य औपचारिकताओं का पालन नहीं करने के कारण हुई।

(गा) "खादी और ग्रामीण उद्योग –तकनीक उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन"– ₹536.16 लाख की बचत (जुलाई 2021 में प्राप्त ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1400.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "नवोन्मेष ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना" के अंतर्गत हितार्थियों से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य उधार सहायता योजनायें"–₹1416.15 लाख की बचत (जुलाई 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹229260.15 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के छह महीने बाद अस्तित्व में नहीं होने और संशोधित प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(e) "Infrastructure Development Programme" – saving of ₹58002.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹96816.55 lakhs (including token supplementary grants of ₹0.55 lakh obtained in July, 2021 and December, 2021) was due to requirement of less funds towards ongoing projects under the schemes and non-finalisation of purchase of land and non-compliance of other formalities by State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Khadi and Village Industries – Technology Upgradation and Quality Certification" – saving of ₹536.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1400.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in July, 2021) was due to less receipt of viable proposals from stakeholders under "A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE)".

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" – saving of ₹1416.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹229260.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in July, 2021 and March, 2022) was due to non-extension of the scheme beyond six months and non-finalisation of revised operational guidelines.

(ख) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम"– ₹3995.83 लाख की बचत (₹5950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग संचालित होने के कारण कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Infrastructure Development Programme" – saving of ₹3995.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5950.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies, scheme being demand driven.

(ग) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" –₹3472.00 लाख की बचत (₹10499.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने से हुई।

(c) "Research and Evaluation Studies" – saving of ₹3472.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10499.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of viable proposals.

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना"–

(E) "Tribal Area Sub-Plan" –

(क) "अवसंरचना विकास कार्यक्रम"–₹1359.82 लाख की बचत (₹1975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Infrastructure Development Programme" – saving of ₹1359.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1975.00 lakhs);

(ख) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹842.00 लाख की बचत (₹2502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Research and Evaluation Studies" – saving of ₹842.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2502.00 lakhs); and

(चा) "अन्य व्यय –विपणन संवर्धन योजना"–₹875.50 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(F) "Other Expenditure - Marketing Promotion Scheme" – saving of ₹875.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजनायें मांग संचालित होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने से हुई।

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹271.72 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 97 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹271.72 lakhs occurred constituting 97 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹215480.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च 2022 में मुख्य शीर्ष "3851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹6.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित कर दिया गया था :–

(I) "लघु उद्योग –प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य उधार सहायता योजनायें"– ₹93795.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹93793.00 लाख था।

(II) "खादी और ग्रामीण उद्योग – खादी और ग्रामीण और नारियल रेशा उद्योग का विकास" – ₹10663.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹10396.40 लाख था।

(III) "नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्रामीण उद्योग और नारियल रेशा उद्योग का विकास"– ₹20227.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹17735.10 लाख था।

(IV) "अन्य ग्रामीण उद्योग – प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य उधार सहायता योजनायें" – ₹67468.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹66247.70 लाख था।

(V) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–खादी, ग्रामीण और नारियल रेशा उद्योग का विकास"– ₹4292.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3665.95 लाख था।

(VI) "जनजातीय उप योजना"–

(का) खादी, ग्रामीण और नारियल रेशा उद्योग का विकास"– ₹2443.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1933.26 लाख था।

(खा) "प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य उधार सहायता योजना"– ₹14482.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹14479.85 लाख था।

2. The above savings were partly (₹ 215480.41 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹6.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(I) "Small Scale Industries – Prime Minister's Employment Generation Programm (PMEGP) and other Credit Support Schemes"- ₹93795.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹93793.00 lakhs.

(II) "Khadi and Village Industries – Development of Khadi, Village and Coir" - ₹10663.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10396.40 lakhs.

(III) "Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹20227.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹17735.10 lakhs.

(IV) "Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" – ₹67468.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹66247.70 lakhs.

(V) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Development of Khadi, Village and Coir Industries" – ₹4292.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3665.95 lakhs.

(VI) "Tribal Area Sub Plan" –

(A) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹2443.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1933.26 lakhs.

(B) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" – ₹14482.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14479.85 lakhs.

(VII) "अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास "– ₹2110.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1904.96 लाख था।

(VII) "Other Expenditure – Entrepreneurship and Skill Development" - ₹2110.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1904.96 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः

3 In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष"4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	15000.00			
पु.	R.	-15000.00	..	..	..
शीर्ष मुख्य शीर्ष"4851" ग्रामीण और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	22000.00			
पु.	R.	-2743.36	19256.64	19256.19	-0.45

(I) मुख्य शीर्ष"4552"–"लघु उद्योग–निधियों की निधि" – के अंतर्गत एक मामले में ₹15000.00 लाख का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियां पुनर्विनियोजन होने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹15000.00 lakhs remained wholly unutilsed in one case under Major Head "4552" – "Small Scale Industry – Fund of Funds" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4851" के अंतर्गत –बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः

(II) Under Major Head "4851" – savings occurred under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग – अवसंरचना स्थापना डी सी (एमएसएमई)"– ₹778.39 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – निधियों की निधि" – ₹1965.42 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – निधियों की निधि" –₹2500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजना मांग संचालित होने के कारण कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव मिलने के कारण हुई ।

4. मुख्य शीर्ष "4851"–"लघु उद्योग – निधियों की निधि" के अंतर्गत उपर्युक्त बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियां मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यशील शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण ₹2500.00 लाख के अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं ।

(A) "Small Scale Industry – Infrastructure Establishment DC (MSME)" – saving of ₹778.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Fund of Funds" - saving of ₹1965.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Fund of Funds" - saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals, scheme being demand driven.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4851" – "Small Scale Industries – Funds of Funds" – excess of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.